



केन्द्रीय विद्यालय धमतरी 493773

मुजगहन, लोहरसी, जिला-धमतरी, छत्तीसगढ़

KENDRIYA VIDYALAYA, DHAMTARI- 493773

Mujgahan Post -Loharsi District- Dhamtari, Chhattisgarh

मुजगहन, पोस्ट लोहरसी, जिला धमतरी

Telephone: 07722 - 236733

(Website www.dhamtari.kvs.ac.in E-mail dhamtarikv@gmail.com)

Kv code-2080, CBSE Affiliation No.-3300025, School Code(CBSE) - 19040

F.N. 2080-62 /KVDMT/2020-21/ 81

दिनांक : 24.11.2020

आदेश

के.वि.एस. संभाग रायपुर के आदेश संख्या 32062/के.वि.सं.(क्षे.का.)/2019-20/11905-11939 दिनांक 05.02.2019 के सन्दर्भ में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्रीय विद्यालय धमतरी में महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर किसी भी शिकायत के निवारण लिए निम्नलिखित आंतरिक शिकायत समिति का गठन तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

क्र.	नामावली	नामित किया जाने वाला सदस्य	अधिकार क्षेत्र
1.	पीठासीन अधिकारी	श्रीमती बिरजा मिश्र, सहायक आयुक्त, के.वि.एस. क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	केन्द्रीय विद्यालय धमतरी में प्राचार्य, तथा समस्त शिक्षक/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच करना।
2.	गैर-सरकारी संगठन सदस्य	श्रीमती सरिता दोशी, अध्यक्ष, "सार्थक", गौरी शंकर श्रीवास्तव सेवा समिति धमतरी	
3.	सदस्य	डॉ. (श्रीमती) अमिता मैथ्यू, पी.जी.टी. (जीवविज्ञान) के. वि. धमतरी)	
4.	सदस्य	श्रीमती रितु साहू, पालक सदस्य (V.M.C.) के. वि. धमतरी	

पीठासीन अधिकारी और उपरोक्त समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा। समिति के पीठासीन अधिकारी का कार्यक्षेत्र निम्नलिखित होगा:-

- जाँच के संचालन के लिए तारीख और समय तय करने के लिए गैर सरकारी संगठन के सदस्य, अन्य सदस्यों और सम्बंधित प्राचार्य/ विद्यालय के साथ समन्वय स्थापित करना।
- एनजीओ के सदस्य के साथ समन्वय कर यात्रा कार्यक्रम की योजना बनाना और सुविधा प्रदान करना।
- जाँच माननीय सुप्रीम कोर्ट के विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य मामले के निर्णय दिनांक 13.08.1997 में निहित दिशा-निर्देशों और मेधा कोतवाल लेले और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2004 के आदेश के अनुसार की जाएगी।
- महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न के मामले की जाँच करते समय एक एनजीओ सदस्य होना अनिवार्य है।
- शिकायत प्राप्त होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर उसकी टिप्पणियों/सिफारिशों तथा विशिष्ट निष्कर्षों और सहायक दस्तावेजों के साथ जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करना है।

वितरण :-

- सभी समिति के सदस्य।
- उपयुक्त, के.वि.एस. (संभाग), रायपुर - सूचनार्थ।

प्राचार्य

प्राचार्य / PRINCIPAL

केन्द्रीय विद्यालय / KENDRIYA VIDYALAYA
धमतरी (छ.ग.) / (DHAMTARI) C.G.